<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–24/2022</u>

माधो महतो एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शेषनाथ महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
16.04.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण सं0–01 और 03 ता 05 की ओर से एक आवेदन दिनांक 29.05.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 16.04.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों को वादीगण के आवेदन दिनांक 29.05.2024 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	
पश्चात् **16.04.2025**	**<u>आदेश (ORDER)</u>** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी में चंद तरह की टंकन में त्रुटियां रह गयी है, जिसे ब्यान तहरीरी दाखिल करने के पूर्व सुधार करते समय ठीक नहीं किया जा सका है। लिहाजा इन त्रुटियों को सुधार लेना न्यायहित में जरूरी है। प्रस्तावित संसोधन सामान्य प्रकृति का है, जिससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण सं0–सं0–01 और 03 ता 05 की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–24/2022</u>

माधो महतो एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शेषनाथ महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 16.04.2025	प्रतिवादीगण श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगें। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन प्रतिवादीगण के आवेदन दिनांक 29.05.2024 का मौखिक रूप से विरोध किया तथा खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण सं0–01 और 03 ता 05 के द्वारा दिनांक 29.05.2024 को आवेदन दाखिल किया गया जो सामान्य प्रकृति का है और इससे वाद के स्वरूप पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण सं0–01 और 03 ता 05 का आवेदन स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर ब्यानतहरीरी में संसोधन करें। वाद दिनांक 02.07.2025 को प्रतिवादी सं0–01, 03 और 05 की ओर से ब्यानतहरीरी में संशोधन हेतु नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	